

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-998/43-02-05 दिनांक 19.11.2011  
 अनुरूप निगम द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम  
 धारा-27 ए,बी,सी के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप में शुल्क देय होगा :-

1- अधिनियम की धारा 6 की उपधारा-1 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं ली जायेगी जिसके लिए उसी प्रमाण पत्र देना होगा।	₹0 10.00 प्रति आवेदन
2- किसी अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु ए 4 या ए-3 साइज पेपर पर प्रतिलिपि	₹0 2.00 प्रतिपृष्ठ
3- लार्जर साइज के पेपर पर प्रतिलिपि हेतु	वास्तविक द्वारा प्रतिपृष्ठ
4- सैम्पल्स अथवा माडल्स के लिए उनका वास्तविक मूल्य और जहाँ सूचना छपी मूल्य से संबंधित है वहाँ निर्धारित छपा मूल्य	(छपा मूल्य)
5- अभिलेखों का निरीक्षण प्रथम घण्टा उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट की अवधि के लिए	₹0 10.00 ₹0 5.00
6- डिस्कट या फलापी या कम्पैक्ट डिस्क द्वारा सूचना प्राप्त करने पर	₹0 50.00
7- प्रिंटेड सामग्री की सूचना हेतु ऐसे प्रिंटेड सामग्री की प्रकाशक की नियत दर पर	प्रकाशन दर
8- प्रकाशित सामग्री के उद्धरण की प्रतिपृष्ठ फोटोकॉपी के लिए	₹0 2.00 (प्रतिपृष्ठ)

निर्धारित शुल्क निगम के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/नकद के द्वारा अदा किया जा सकता है। नकद शुल्क लेखा विभाग के कैश काउन्टर पर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करने व प्राविधान लेखा विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।